

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1981-82 for the purposes of Railways, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That Clauses 2 and 3 and the Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill. . . .

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P.C. SETHI: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

13.54 hrs.

CENTRAL SILK BOARD (AMENDMENT) BILL.—Contd. . .

THE DEPUTY-SPEAKER: Now, we go to the next item: further consideration of the following motion moved by Shri P. A. Sangma on the 4th March, 1982, namely:—

"That the Bill further to amend the Central Silk Board Act, 1948 be taken into consideration."

SHRI SHIVKUMAR SINGH THAKUR.

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर (खंडवा) :
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में चार

तरह का सिल्क होता है। मालबारी, टसर, मूंगा और इरी। मालबारी सिल्क में हमारे देश का विश्व में पांचवां स्थान है, टसर में दूसरा और मूंगा तथा इरी में हमारी मोनोपली है। विश्व में सिल्क के ट्रेडीशनल लीडर्स जापान, चाइना, दक्षिण कोरिया और सोवियत यूनियन जैसे देश हैं जो सिल्क का काफी बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं।

अभी हमारे देश में मालबारी सिल्क का जो उत्पादन होता है, उस में विश्व में हमारा पांचवां स्थान है और 4500 टन उत्पादन हमारे देश में होता है। जबकि चाइना में 20 हजार टन, जापान में 12 हजार टन उत्पादन होता है। इस प्रकार से विश्व में हमारा स्थान बहुत नीचे है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिल्क इंडस्ट्री एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के किसानों ने इसमें इतनी रुचि दिखाई है कि जहां अंगूर और कपास की खेती होती थी, उस को सिल्क में रीप्लेस कर दिया है। आज हमारे देश में 27441 गांवों में सिल्क का उत्पादन होता है और इस से 39 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। विशेष कर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग इस में रोजगार पाते हैं।

अभी तक हम 661 लाख स्क्वायर मीटर कपड़ा जो 170 करोड़ रुपये का होता है का उत्पादन प्रतिवर्ष करते हैं। 1975-76 में जहां हमने 61.66 लाख मीटर कपड़ा एक्सपोर्ट किया था वहीं 1980-81 में हमने 125.82 लाख मीटर सिल्क कपड़े का एक्सपोर्ट किया है। सौ प्रतिशत वृद्धि इसमें हुई है। इसी प्रकार सिल्क कपड़े का एक्सपोर्ट 1975-76 में 17.52 करोड़ का था वह आज बढ़कर 53.12 करोड़ रुपये का हो गया है। इस प्रकार 200 प्रतिशत इसमें वृद्धि हुई है।

: [श्री शिव कुमार सिंह]

मालबारी सिल्क हमारे यहां कर्नाटक में 80 प्रतिशत, वैस्ट बंगाल में 15 प्रतिशत, जम्मू-कश्मीर में 10 प्रतिशत होता है। दूसरे सिल्क बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और आंध्र प्रदेश में पैदा होता है। मूंगा और इरी में हमारे देश में आसाम की मोनोपली है।

सेंट्रल-सिल्क बोर्ड का गठन सन 1949 में किया गया था। इसका उद्देश्य था कि किस तरह से सिल्क उत्पादन बढ़ाया जाए और किस प्रकार इसका निर्यात बढ़ाकर देश के लिये विदेशों मुद्रा अर्जित की जाय। इसके लिये सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने 4 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कायम किए हैं। तीन रीजनल रिसर्च स्टेशन, पांच सर्विस स्टेशन और 15 रिसर्च एक्सटेन्शन सेंटर कायम किए गए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेंट्रल सिल्क बोर्ड और राज्य सरकारें मिलकर प्रयत्न कर रही हैं कि हमारे देश में सिल्क का उत्पादन बढ़ाया जाए। इस बात के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

कर्नाटक सरकार ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 80 करोड़ रुपये की योजना कार्यान्वित की है, जिसमें स्टेट प्लेचर स्पन सिल्क मिल कायम की गई है। इसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी सहायता पहुंचाई जानी चाहिए। एग्रीकल्चरल सर्व ग्रुप ने प्लानिंग कमीशन को सुझाव दिया है कि इस इंडस्ट्री के लिए 260 करोड़ रुपया रखा जाए जिसमें से 38 करोड़ रुपया रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट के लिए सिल्क वार्म सेक्टर में 12 करोड़ रुपया इंटेसिव-सेरीकल्चर के लिए और 210 करोड़ रुपया राज्यों के लिए सिल्क का उत्पादन बढ़ाने के लिए रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज ईरान के कालीन उद्योग में गड़बड़ी होने के कारण

हिन्दुस्तानी सिल्क कारपेट की मांग विदेशों में बढ़ती जा रही है। यदि सही तरीके से प्लानिंग करके उत्पादन बढ़ाया जाए तो 50 करोड़ रुपये के एक्सपोर्ट को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। एफ. ए. ओ. के रीसेंट फोरकास्ट के अनुसार 1982 के अंत तक दुनिया में सिल्क कंजमन बढ़कर 48600 टन हो जाएगा। इसको देखते हुए भारत बहुत बड़ा निर्यातक देश बन सकता है।

मालबारी सिल्क का उत्पादन 1977-78 में 4801 टन था जो 1984-85 में 101265 टन हो जाएगा और एक्सपोर्ट 48.83 करोड़ रुपये से बढ़कर 130 करोड़ रुपये का हो जाएगा। इसी प्रकार एंज्लायमेंट 38.06 लाख लोगों से बढ़कर 1984-85 में 41.52 लाख हो जाएगा।

18.00 hrs.

मालबारी सिल्क का जो एरिया था वह 19245 हैक्टर था जोकि 1984-85 में बढ़कर 1 लाख 9 हजार 559 हैक्टर हो जाएगा।

यह बिल जो लाया गया है उस में आपको देखना होगा कि सिल्क उद्योग क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? इसके न पनपने के चार मुख्य कारण हैं। एक तो यह है कि इस में नये लोग नहीं आ पा रहे हैं। पुराने लोग जो लगे हुए हैं वही काम करते चले जा रहे हैं...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Are you concluding?

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : मैं कल जारी रखूंगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Allright. The House stands adjourned to reassemble at 11.00 a.m. tomorrow.

18.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 18, 1982 Phalguna 27, 1903 (Saka).